भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 926

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय बच्चों में कुपोषण

926. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पाँच वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के कुल कितने बच्चे और कितने प्रतिशत बच्चे कम कद (स्टंटेड), कम वज़न (वेस्टेड) और अल्पवज़नी (अंडरवेट) की श्रेणी में आते हैं और तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएँ और कितने प्रतिशत महिलाएँ अल्पवज़नी हैं और रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित हैं और तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों या जिलों को चिन्हित किया है जहाँ जनजातीय आबादी में कुपोषण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यदि हां, तो इस संबंध में क्रियान्वित लक्षित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में इन क्षेत्रों में पोषण अभियान और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, देश भर में अनुसूचित जनजाति के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में रक्ताल्पता और दुबलेपन की व्यापक्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन)

कार्यनीति क्रियान्वित करता है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों सहित देशभर की महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किए गए हैं:

- **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी):** ये केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्थापित किए गए हैं, ताकि गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष ध्यान और पोषण उपचार दिया जा सके। इनका उद्देश्य माताओं और देखभाल करने वालों को समय पर, उचित और पर्याप्त आहार देने के लिए प्रशिक्षित करना है।
- **मातृत्व संपूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य स्तनपान की कवरेज को बेहतर बनाना है, जिसमें जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करना और पहले छह महीने तक विशेष रूप से स्तनपान कराना शामिल है। इसके लिए उम्र के अनुसार पूरक आहार की सलाह दी जाती है।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी):** यह रणनीति छह लक्षित लाभार्थी आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए लागू की गई है – बच्चे (6-59 माह), बच्चे (5-9 वर्ष), किशोर (10-19 वर्ष), गर्भवती और धात्री महिलाएं तथा 15-49 वर्ष की महिलाएं। इसे छह प्रमुख हस्तक्षेपों के माध्यम से संस्थागत तंत्र द्वारा जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत लागू किया गया है।
- **राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस (एनडीडी):** इस दिन पर एल्बेन्डाजोल गोलियां एक ही दिन में दी जाती हैं। यह स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में साल में दो बार (फरवरी और अगस्त) बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा जनित कृमि संक्रमण (STH) को कम करने के लिए किया जाता है।
- **स्तनपान प्रबंधन केंद्र:** ये केंद्र माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके तहत माताओं के दूध को निकालने की सुविधा दी जाती है और सुरक्षित, पास्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है ताकि बीमार, समय से पहले और कम वजन वाले नवजात बच्चों को विशेष देखभाल मिल सके।
- **गांव स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी):** इन दिनों के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया जाता है और पोषण व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय कर पोषण संबंधित जानकारी दी जाती है।

(घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पोषण अभियान के तहत जून, 2025 माह की पोषण ट्रैकर रिपोर्ट में 5 वर्ष से कम आयु के जनजातीय बच्चों में स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट बच्चों की स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

दिनांक 25 जुलाई, 2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

अनुसूचित जनजाति के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण और 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में दुबलेपन और एनीमिया का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रसार (स्रोत: एनएफएचएस-5, 2019-21)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो बौने हैं	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुर्बल हैं	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कम वजन वाले हैं	15-49 वर्ष की आयु की महिलाएं जो अनीमिया से ग्रस्त हैं	15-49 वर्ष की आयु की महिलाएं जिनका बीएमआई सामान्य से कम है
भारत		40.9	23.2	39.5	64.6	25.5
1	अंडमान और निकोबार	21.9	15.8	18.1	30.5	6.4
2	आंध्र प्रदेश	44.5	20	45.2	62.6	21
3	अरुणाचल प्रदेश	27.9	13.2	13.7	36.3	4.2
4	असम	31	19.1	26.4	69.2	11.8
5	बिहार	46.9	23.8	45.9	64.7	29.7
6	चंडीगढ़	61.9	61.9	61.9	0	0
7	छत्तीसगढ	38.6	21	36	70.9	29.3
8	दिल्ली	50.5	23.9	51.4	70.9	31.2
9	डीएनएच एवं डीडी	36.2	9.9	31.7	51.5	6.4
10	गोवा	27.1	21.2	14.7	42.5	17.1
11	गुजरात	46.1	30.3	49.1	78.3	35.1
12	हरियाणा	22.2	12.7	20.6	64.2	20.4
13	हिमाचल प्रदेश	31.3	15	20.3	53.8	13.7
14	जम्मू एवं कश्मीर	28.3	19.3	24.7	68.6	6.5
15	झारखंड	45.1	25.7	47.4	72	28
16	कर्नाटक	41.2	22.2	36.7	46.2	21.5
17	केरल	32.4	14.8	21.8	52.9	18.9
18	लद्दाख	34.8	17.4	22.6	92.4	4.7
19	लक्षद्वीप	36.1	16.6	23.7	24.2	8.4
20	मध्य प्रदेश	40.4	21.2	39.5	64.2	27.5
21	महाराष्ट्र	43.1	33.9	46.3	59.7	30.2
22	मणिपुर	27.1	10.2	12.7	26.8	6.2
23	मेघालय	46.4	11.9	25.9	53.3	11
24	मिजोरम	28.7	9.5	12.6	34.3	5.4
25	नागालैंड	32.7	17.9	26.2	27.7	10.9
26	ओडिशा	42.9	22.7	42.1	71.7	30.7
27	पुदुचेरी	0	0	0	67.3	14.6
28	पंजाब	27.7	0	16.9	54.4	15.8
29	राजस्थान	35.4	18.7	31.9	61.6	24.8
30	सिक्किम	23	10.4	16	42.6	4.2
31	तमिलनाडु	28.4	20.3	30.7	59	19.6
32	तेलंगाना	34.3	23.5	33.5	64	21.5
33	त्रिपुरा	34.4	20.4	30.7	66.8	12.4
34	उत्तराखंड	47.1	23.4	47.3	51.1	22.3
35	उत्तर प्रदेश	25.3	10.5	16.8	56	15.1
36	पश्चिम बंगाल	37.7	25.6	43.3	82.4	22.7

दिनांक 25 जुलाई, 2025 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- II

पोषण अभियान की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति: 5 वर्ष से कम आयु के कुपोषित आदिवासी बच्चों की संख्या (स्रोत: पोषण ट्रैकर डेटा-जून 2025)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बौने बच्चे	दुर्बल बच्चे	कम वजन वाले बच्चे
अंडमान और निकोबार	42	4	10
आंध्र प्रदेश	33143	10039	18620
अरुणाचल प्रदेश	14835	2060	4531
असम	69136	6503	22781
बिहार	13608	3018	7622
चंडीगढ़	216955	64645	121690
छत्तीसगढ़	9591	820	4350
दिल्ली	0	0	0
दादरा व नगर हवेली	0	0	0
गोवा	171570	37695	111862
गुजरात	0	0	0
हरियाणा	1852	238	645
हिमाचल प्रदेश	5044	480	1456
जम्मू एवं कश्मीर	212663	31577	105485
झारखंड	381	32	171
कर्नाटक	1832	304	981
केरल	1551	31	250
लद्दाख	1474	382	741
लक्षद्वीप	469828	106108	322504
मध्य प्रदेश	357472	34893	191637
महाराष्ट्र	9923	904	3292
मणिपुर	52451	2600	13109
मेघालय	17258	1864	3993
मिजोरम	12697	2797	3152
नागालैंड	116077	17505	60776
ओडिशा	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0
पंजाब	164870	36129	101803
राजस्थान	227	36	44
सिक्किम	8072	1894	3855
तमिलनाडु	38946	7766	20690
तेलंगाना	23978	4945	10649
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तराखंड	129	5	64
उत्तर प्रदेश	2595	204	774
पश्चिम बंगाल	130525	27609	48945

******